

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक: प.22(4)न्याय/2015

जयपुर, दिनांक 24 JUL 2024

::आज्ञा::

राजस्थान विधि सेवा संवर्ग के निम्नलिखित अधिकारियों को वर्ष 2024-25 में अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने पर इनके नाम के सम्मुख अंकित दिनांक को अपराहन से राजकीय सेवा से सेवानिवृत्त इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 08.01.2024 द्वारा किया गया है:-

वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी

क्र.सं.	नाम सर्व श्री/श्रीमती	जन्मतिथि	सेवानिवृत्ति दिनांक
1.	श्रीमती विमला जैन	01.07.1964	30.06.2024
2.	राजेन्द्र कुमार गोयल	29.06.1964	30.06.2024
3.	विनोद कुमार जांगिड़	05.03.1965	31.03.2025
4.	कैलाश नारायण पंचौली	25.10.1964	31.10.2024
5.	हजारी राम	02.11.1964	30.11.2024

संयुक्त विधि परामर्शी

क्र.सं.	नाम सर्व श्री/श्रीमती	जन्मतिथि	सेवानिवृत्ति दिनांक
1.	बद्रीनारायण व्यास	03.09.1964	30.09.2024
2.	सुभाष चन्द गुप्ता	01.07.1964	30.06.2024
3.	रामगोपाल जाट	05.12.1964	31.12.2024
4.	जितेन्द्र सिंह	15.08.1964	31.08.2024
5.	डॉ. गौरी शंकर भार्गव	30.01.1965	31.01.2025
6.	सुबान खान	10.07.1964	31.07.2024
7.	सुनील कुमार गुप्ता	02.11.1964	30.11.2024


रूप विधि परामर्शी

क्र.सं.	नाम सर्व श्री/श्रीमती	जन्मतिथि	सेवानिवृत्ति दिनांक
1.	शुभकरण	01.02.1965	31.01.2025

इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 08.01.2024 के क्रम में यह प्रमाणित किया जाता है कि:-
उपरोक्त अधिकारियों के विरुद्ध आज तक -

- श्री बद्रीनारायण व्यास, संयुक्त विधि परामर्शी के विरुद्ध वर्तमान में FIR No. 229/2020 विचाराधीन है। उपरोक्त सूची में अंकित श्री बद्रीनारायण व्यास के अतिरिक्त शेष अधिकारियों के विरुद्ध आज तक -
- राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-19 अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

राज्यपाल की आज्ञा से,


(अंकित रमन)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- निदेशक, पेंशन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- संबंधित कर्मचारी/अधिकारी।
- प्रोग्रामर, विधि एवं विधिक कार्य विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
- संबंधित विभाग/रक्षित पत्रावली।


संयुक्त शासन सचिव